भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3515

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

मातृत्व लाभ (संशोधन अधिनियम) और क्रेच सुविधाएं

3515. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री एंटो एन्टोनी:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई 2017 से प्रभावी क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य करते हुए मातृत्व लाभ अधिनियम को अधिनियमित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रतिष्ठानों ने अपनी कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) क्या प्रतिष्ठानों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की कोई समय-सीमा थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि कई संगठनों ने अभी तक अपने प्रतिष्ठानों में ऐसी सुविधाएं नहीं दी हैं, और यदि हां, तो इस तरह के उल्लंघन के लिए अधिनियम के तहत क्या जुर्माना लगाया गया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, पचास या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों से अलग से या निर्धारित दूरी के भीतर

जारी----2/-

साझा सुविधाओं के साथ क्रेच सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

(ख) से (घ): प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु खानों और सर्कस को छोड़कर सभी उद्योगों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार समुचित सरकार है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उपरांत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिनियम के उपबंधों के अक्षरश: कारगर प्रवर्तन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी की हैं। प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सेवाओं के प्रावधान संबंधी डेटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। संबंधित सरकारों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु प्राप्त शिकायतों का निपटान अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

****